थर्मल रनअवे से भड़की थी आग, अब ओवर वोल्टेज पर टिकी जांच

- 260 वोल्ट ने मचाई तबाही, बिजली सिस्टम फेलियर आया सामने
- खंभे से स्पार्किंग बनी वजह, जर्जर वायरिंग और हाई वोल्टेज पर उठे सवाल

नव भारत न्यूज

इंदौर. बृजेश्वरी एनेक्स में हुए भीषण अग्निकांड की जांच अब ओवर वोल्टेज, जर्जर बिजली व्यवस्था और संभावित थर्मल रनअवे पर आकर टिक गई है. शुरुआती तकनीकी आकलन में संकेत मिले हैं कि बिजली के खंभे पर स्पार्किंग और 260 वोल्ट तक पहुंचे हाई वोल्टेज ने हालात बिगाड़े, जिससे वाहन की बैटरी में रिएक्शन हुआ और आग ने विकराल रूप ले लिया. विशेषज्ञों का दावा है कि यह महज एक हादसा नहीं, बल्कि

बिजली सिस्टम की खामियों का परिणाम हो सकता है, जिसमें ईवी चार्जर की भूमिका सीमित मानी जा रही है.

ईवी हादसे की जांच करने पहुंचे एक्सपर्ट का कहना है कि घटना से एक दिन पहले से क्षेत्र में वोल्टेज के उतार-चढ़ाव की शिकायत मिल रही थी. सामान्य 230-240 वोल्ट के बजाय सप्लाई 260-270 वोल्ट तक पहुंच गई थी, जो मानक से काफी अधिक है. रात के समय लोड कम होने पर शहर में इस तरह की समस्या अक्सर देखने को मिलती है. बिजली के खंभे पर पहले से उलझी और जर्जर ओवरहेड वायरिंग अधिक वोल्टेज के कारण गर्म हो गई होगी. इससे इंसुलेशन कमजोर पड़ा और फेज के बीच संपर्क बनते ही फेज-टू-फेज शॉर्ट सर्किट की स्थिति बन गई. घटना के वायरल वीडियो में खंभे से चिंगारियां निकलती साफ दिखाई दे रही हैं, जो इसी ओर इशारा करती हैं.

बताया जा रहा है कि घर में लगा ईवी चार्जर, जो सामान्य सिंगल-फेज सप्लाई पर चलता है, उसे अचानक 400-415 वोल्ट का हाई वोल्टेज मिल गया होगा. इससे चार्जर का सर्किट फेल हो गया और करंट सीधे बैटरी तक पहुंच गया. पहले से गर्म बैटरी कुछ ही मिनटों में थर्मल रनअवे की स्थिति में पहुंच गई, जिससे वाहन में आग लगी और फिर तेजी से पूरे घर में फैल गई. घर में रखे एलपीजी सिलेंडरों ने आग को और विकराल बना दिया. विशेषज्ञों के अनुसार

घटना बनी शहर के लिए चेतावनी...

विशेषज्ञों ने इंसुलेटेड ओवरहेड कंडक्टर, सभी ईवी चार्जरों के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर और आरसीसीबी अनिवार्य करने, डिस्ट्रीब्यूशन पोल पर उन्नत सुरक्षा सिस्टम लगाने तथा विद्युत उपकरणों के पास एलपीजी सिलेंडर रखने पर सख्ती से रोक लगाने की जरूरत बताई है. लापरवाही बरती गई तो भविष्य में ऐसे हादसे दोहराए जा सकते हैं. इसलिए इस हादसे को चेतावनी के रूप में देखा जाए.

हादसे में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह भी सामने आ रहा है कि शुरुआती पोल फॉल्ट के बाद घर की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे दरवाजों के लॉक सिस्टम के काम नहीं करने की बात कही जा रही है, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक लॉक होने की पुष्टि नहीं हो सकी है. वहीं, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम को आग बुझाने के दौरान करंट लगना यह दर्शाता है कि अर्थ फॉल्ट और ऑटोमैटिक ट्रिपिंग सिस्टम भी प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहे थे. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आग घर के अंदर सामान्य शॉर्ट सर्किट से लगी होती, तो बाहर खंभे पर इस तरह की चिंगारियां और विस्फोट जैसे हालात नहीं बनते. ऐसे में प्राथमिक रूप से बिजली वितरण तंत्र की खामियां इस हादसे की बड़ी वजह मानी जा रही हैं.

शराब पीने के लिए रुपए नहीं देने पर नुकीली वस्तु से हमला

- दी जान से मारने की धमकी

इंदौर. तुकोगंज थाना क्षेत्र में दारू पीने के लिए रुपए मांगने को लेकर विवाद के बाद एक युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया. आरोपी ने लोहे की नुकीली वस्तु से वार करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी.

थाना प्रभारी जितेन्द्र यादव ने बताया कि घटना रात करीब 9.30 बजे लाला का बगीचा स्थित बाबा रामदेव मंदिर के पास हुई. फरियादी सागर उर्फ भूरा उम्र 27 साल निवासी लाला का बगीचा सिगरेट लेने घर से दुकान जा रहा था. इसी दौरान मोहल्ले में रहने वाला आरोपी गोलू उर्फ टुण्डा वहां पहुंचा और उससे दारू पीने के लिए रुपए मांगने लगा. फरियादी द्वारा रुपये देने से इंकार करने पर आरोपी गाली-गलौज करने लगा. विरोध करने पर गोलू उर्फ टुण्डा ने लोहे की नुकीली वस्तु से सागर के बाएं माथे और बाएं हाथ के अंगूठे के पास वार कर दिया, जिससे उसे चोट आई और खून निकलने लगा. साथ ही उसके बाएं पैर पर भी हल्की चोट आई. घटना के दौरान ठेकेदार रामू पेंटर ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया. इसके बाद आरोपी जाते-जाते धमकी देकर फरार हो गया कि यदि मोहल्ले में रहना है तो दारू पिलानी पड़ेगी, अन्यथा जान से खत्म कर देगा. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

एक नजर में

आईटीसी चौपाल सागर में तीन दिनी चौपाल महोत्सव शुरू

महू. आईटीसी चौपाल सागर पलासिया में तीन दिवसीय चौपाल महोत्सव का शुभारंभ हुआ. महोत्सव में तीन दिनों में प्रमुख रूप से किसान संगोष्ठी, महिला आत्मरक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, किसान कृषि विशेषज्ञ संवाद, उत्कृष्ट किसान पुरस्कार, युवाओं के लिए कॅरियर परामर्श किया जाएगा. यह जानकारी संचालक जुगनू जादवसिंह धनावत ने दी. उन्होंने बताया कि शुभारंभ अवसर पर मुख्य रूप से विधायक उषा ठाकुर, कृषि विभाग की एसडीओ मैडम, कृषि उपज मंडी सचिव मंजू मैडम, जनपद अध्यक्ष सरदार मालवीय, संचालक जुगनू जादवसिंह धनावत, राधेश्याम सेठ, एरिया मैनेजर नरेंद्र शर्मा, प्रभारी राजेंद्रसिंह वर्मा, मिस्बाह खान, पूनम अग्रवाल, ज्ञानेश श्रुति, राकेश शर्मा, मोहम्मद अरशद, आरती शर्मा, केदार मुकाती, प्रकाश अग्रवाल, रोहित वर्मा, नीरज साहू, रूपाली शुक्ला, विष्णु पाटीदार, बाबूजी, प्रकाश चौधरी, रवि पटेल, धर्मेंद्र सिंघारे, भगवान चौधरी, विवेक मिश्रा और महिंद्रा कंपनी, कृषि दवा कंपनी, जेके टायर और ट्रैक्टर डीलर के प्रतिनिधि मौजूद रहे. इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान, महिलाएं और बच्चे भी उपस्थित थे.

बाइक टकराने की बात पर दो युवकों ने की मारपीट

इंदौर. राहुल गांधी नगर क्षेत्र में बाइक ठेले से टकराने की मामूली बात पर विवाद बढ़ गया, जहां दो युवकों ने मिलकर एक युवक के साथ मारपीट कर दी. आरोपियों ने हाथ-मुक्कों से मारपीट करने के साथ कड़े से वार कर उसे घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए. थाना प्रभारी राजकुमार यादव ने बताया कि घटना भोलेनाथ मंदिर के पास की है. फरियादी अपने वाहन से वहां पहुंचा था, तभी उसकी मोटरसाइकिल मोहल्ले में रहने वाले सागर अंजले और शिवा अंजले के ठेले से टकरा गई. इसी बात को लेकर दोनों आरोपी गाली-गलौज करने लगे. फरियादी द्वारा विरोध करने पर सागर और शिवा अंजले ने उसके साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट शुरू कर दी. इसी दौरान सागर अंजले ने अपने हाथ में पहने कड़े से फरियादी के सिर, कान और बाएं हाथ पर वार किया, जिससे उसे चोट आई और खून निकलने लगा. घटना के दौरान फरियादी के पिता जगदीश सावले ने बीच-बचाव कर उसे आरोपियों से छुड़ाया. घटना को आसपास मौजूद लोगों ने भी देखा. मारपीट के बाद दोनों आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए कि दोबारा उलझने पर जान से खत्म कर देंगे. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

महिला के घर पर तोड़फोड़, मारपीट कर हुए फरार

इंदौर. देपालपुर क्षेत्र में मकान विवाद को लेकर एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि आरोपी महिला ने फरियादिया के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर घायल कर दिया. देपालपुर थाना प्रभारी रंजीत सिंह बघेल ने बताया कि दोपहर करीब 3.30 बजे अरिहंत कॉलोनी देपालपुर की है. फरियादिया पूजा परमार उम्र 33 के घर के सामने आरोपी मनुबाई परमार ने मकान विवाद की बात को लेकर विवाद शुरू किया. आरोप है कि मनुबाई ने गुस्से में आकर घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़कर नुकसान पहुंचाया और गालियां देने लगी. विरोध करने पर आरोपी ने थप्पड़ और मुक्कों से मारपीट की, जिससे फरियादिया के बाएं हाथ में चोट आई. घटना के बाद आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी. पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुराने मामले को लेकर बड़े भाई ने छोटे को डंडे से पीटा

इंदौर. ग्राम रंगवासा में पारिवारिक विवाद और पुराने मुकदमे के राजीनामे को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है. एक बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई पर डंडे से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. बीच-बचाव करने आई मां और पत्नी के सामने भी आरोपी ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने आरोपी भाई के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर ने बताया कि घटना ग्राम रंगवासा की है. फरियादी रंजीत पिता मांगीलाल सोलंकी निवासी रंगवासा ने शिकायत दर्ज कराई कि बीती शाम करीब 5 बजे जब वह काम से लौटकर घर आया, तभी उसका बड़ा भाई रवि सोलंकी उसके घर के सामने पहुंचा. रवि ने रंजीत पर दबाव बनाया कि वह उनके बीच चल रहे पुराने कोर्ट केस में राजीनामा कर ले. जब रंजीत ने राजीनामा करने से साफ इनकार कर दिया, तो रवि आगबबूला हो गया और गालियां देने लगा. विवाद बढ़ने पर आरोपी रवि ने पास ही पड़ा एक लकड़ी का डंडा उठा लिया और रंजीत पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में रंजीत के बाएं पैर के घुटने, घुटने के नीचे, कमर और दोनों हाथों की भुजाओं पर गंभीर चोटें आई हैं. चीख-पुकार सुनकर रंजीत की पत्नी पूजा सोलंकी और मां सुगन सोलंकी बाहर आईं और बीच-बचाव कर रंजीत को बचाया. परिजनों को इकट्ठा होते देख आरोपी रवि वहां से भाग निकला, लेकिन जाते-जाते उसने रंजीत को धमकी दी कि अगर तूने पुराने केस में राजीनामा नहीं किया, तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा.

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास

- तीन साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

इंदौर. शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. करीब तीन साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

मामले में 31 वर्षीय आरोपी लखन सिंह यादव निवासी नागदा, उज्जैन बताया गया है. पीड़िता पेशे से नर्स है और इंदौर में किराए के मकान में रहती थी. वर्ष 2021 में दोनों की पहचान एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई थी. इसके बाद आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाकर उससे नजदीकियां बढ़ाईं. शासन की ओर से पैरवी कर रहे एजीपी जयंत दुबे ने बताया कि 14 फरवरी 2022 को आरोपी ने पीड़िता की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद भी वह शादी का आश्वासन देकर लगातार संबंध बनाता रहा. बाद में आरोपी ने दूरी बनाना शुरू कर दिया और मोबाइल बंद रखने लगा. संदेह होने पर पीड़िता जब उसके उज्जैन स्थित घर पहुंची तो पता चला कि वह किसी अन्य युवती से विवाह कर चुका है.

विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद पीड़िता ने 25 मई 2023 को इंदौर में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया, सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और दुष्कर्म में 10 वर्ष, जबकि अन्य धाराओं में 5 वर्ष और 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

अक्षय शर्मा हत्याकांड : फरार 3 आरोपी जबलपुर में धराए

- 2-2 हजार के इनामी तीनों आरोपियों को इंदौर पुलिस को सौंपा

इंदौर. बहुचर्चित अक्षय शर्मा हत्याकांड में फरार चल रहे तीन आरोपियों को जबलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. तीनों आरोपियों को इंदौर पुलिस के हवाले कर दिया गया है. गिरफ्तार आरोपियों पर 2-2 हजार रुपए का इनाम घोषित था.

एसीपी रूबिना मिजवानी ने बताया कि आरोपी शशिकांत शर्मा, रवि शर्मा और गौरव शर्मा वारदात के बाद इंदौर से फरार होकर जबलपुर में अलग-अलग स्थानों पर छिपे हुए थे. पुलिस को सूचना मिली थी कि शशिकांत अपनी रिश्तेदार, स्वयं को भाजपा नेत्री बताने वाली शिखा शर्मा के राइट टाउन स्थित घर में छिपा है. इस पर जबलपुर कोतवाली सीएसपी रितेश कुमार शिव के नेतृत्व में लार्डगंज थाना प्रभारी नवल आर्य की टीम ने दबिश देकर उसे आदि एन्क्लेव से गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर रवि और गौरव को पास के एक अन्य मकान से पकड़ा गया. तीनों को इंदौर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है. मामले में इंदौर पुलिस पहले ही तीन आरोपियों विनोद, राहुल और रिंकू को गिरफ्तार कर चुकी है. वहीं सत्यम और एक अन्य आरोपी रवि अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है.

यह है मामला...

घटना 17 जनवरी 2026 की है. पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया था. आरोप है कि आठ लोगों ने मिलकर अक्षय शर्मा का अपहरण किया. उसे जबरन कार में बैठाकर इंदौर से करीब 100 किलोमीटर दूर शाजापुर ले गए थे. यहां एक फार्म हाउस पर आरोपियों ने उसके साथ अमानवीय बर्ताव करते हुए बेरहमी से मारपीट की. उसे निर्वस्त्र कर गर्म लोहे की रॉड से दागा गया और शरीर के संवेदनशील हिस्सों को भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था. गंभीर हालत में 18 जनवरी को आरोपी उसे बाणगंगा थाना क्षेत्र में छोड़कर फरार हो गए थे. पुलिस ने उसे तत्काल एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान 22 जनवरी को उसकी मौत हो गई थी. जांच में सामने आया कि मृतक का अपने चाचा गोविंद व अन्य परिजनों से पुश्तैनी जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया. साथ ही, परिवार की एक युवती से दुष्कर्म के आरोप में दर्ज एफआईआर को भी विवाद की एक बड़ी वजह माना जा रहा है. मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन पांच आरोपी फरार हो गए थे. इनमें से तीन को अब जबलपुर से पकड़ा गया है. दो अभी भी फरार हैं।

शादी का झांसा देकर रेप, धमकी और ब्लैकमेल के दो मामले दर्ज

- एक का होटलों में किया शोषण, वीडियो वायरल करने की दे रहा था धमकी
- दूसरे मामले में व्हॉट्सएप कॉल से डराता रहा आरोपी

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में दो महिलाओं को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और बाद में धमकी व ब्लैकमेल करने के दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं. एक प्रकरण में आरोपी ने प्रेम संबंध के दौरान कई बार शारीरिक शोषण किया, जबकि दूसरे मामले में भरोसे का फायदा उठाकर महिला से दुष्कर्म कर उसे लगातार धमकाया जा रहा था. दोनों ही मामलों में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

डरा-धमकाकर पति का परिचित करता रहा दुष्कर्म

इसी तरह का दूसरा मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है. थाना प्रभारी सियाराम गुर्जर ने बताया कि 35 वर्षीय महिला ने अपने पति के परिचित विकास राय के खिलाफ दुष्कर्म और धमकी का केस दर्ज कराया है. महिला ने पुलिस को बताया कि वह पति के साथ मजदूरी के लिए इंदौर आई थी और आरोपी ने रहने की व्यवस्था कराई थी. इसी दौरान अकेलेपन का फायदा उठाकर आरोपी ने जबरदस्ती की और बाद में धमकियां देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा. डर के कारण दंपति गांव लौट गए, लेकिन आरोपी ने व्हॉट्सएप कॉल के जरिए पीछा नहीं छोड़ा और लगातार बदनाम करने की धमकी देता रहा. हाल ही में इंदौर लौटने पर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. दोनों मामलों में पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश और जांच शुरू कर दी है.

पहला मामला हीरानगर थाना क्षेत्र का है, थाना प्रभारी सुशील पटेल ने बताया कि 21 वर्षीय एक टेलीकॉलर युवती ने अमन टिकलिया निवासी कंडिलपुरा पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. युवती ने पुलिस को बताया कि चार साल पहले एक शादी समारोह में दोनों की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया के जरिए बातचीत शुरू हुई और दोस्ती हो गई. दोस्ती प्रेम में बदल गई. युवती के अनुसार, आरोपी अगस्त 2024 में उसे एक होटल में ले गया, जहां पहली बार संबंध बनाए. इसके बाद अलग-अलग स्थानों पर कई बार दुष्कर्म किया. दोनों ने अपनी शादी की बात परिवारों तक भी पहुंचाई, लेकिन दिसंबर 2025 में आरोपी मुकर गया. विरोध करने पर उसने युवती को फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कर्ज से परेशान होकर युवक ने लगाई फांसी

इंदौर. चंदन नगर थाना क्षेत्र के रामानंद नगर में कर्ज से परेशान एक 43 वर्षीय वाहन मालिक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के समय घर में बच्चे मौजूद थे, जबकि पत्नी बाहर गई हुई थी. थाना प्रभारी तिलक करोले ने बताया कि दुलीचंद राठौर ने वाहन खरीदने के लिए लोन लिया था, लेकिन कई महीनों से किस्त नहीं भर पाने के कारण वह तनाव में थे. बैंक की ओर से लगातार दबाव बनाए जाने की बात सामने आई है. शाम को दुलीचंद घर के पीछे कमरे में गए और बाहर नहीं निकले. शक होने पर बेटी ने दरवाजे के छेद से देखा तो पिता फंदे पर लटके मिले. सूचना पर परिजन और पुलिस

मौके पर पहुंची. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. शव का पोस्टमॉर्टम कराकर पुलिस मामले की जांच कर रही है और फाइनेंस कंपनी से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

एक नजर में

एक ओर स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं खस्ताहाल कचरा संग्रहण वाहन, डंपर और पानी के टैंकर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा

नगर निगम के कंडम जनसेवा वाहन दे रहे हादसे को आमंत्रण

इंदौर. लगातार आठवीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बनने के दावों के बीच, इंदौर नगर निगम के वाहनों की बदहाली और बुनियादी सुविधाओं में लापरवाही की गंभीर खबरें सामने आ रही हैं. एक ओर स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर कचरा संग्रहण वाहन, डंपर और पानी के टैंकर जैसे जनसेवा के वाहनों की स्थिति खराब है.

शहर में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाहन डंपर और पानी के टैंकरों की हालत चिंताजनक है. अधिकांश वाहनों में लाइट खराब बंपर टूटे हुए दरवाजे रस्सियों से बंधे और पहचान के लिए नेम प्लेट तक गायब हैं. कई पानी के टैंकर तो सडक़ों पर चलते खतरे बन चुके हैं, जिनसे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. वाहन चालकों की जान जोखिम में है और आम नागरिक भी

असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. सवाल सीधा है जब हर साल मेंटेनेंस के नाम पर लाखों-करोड़ों का बजट पास होता है तो यह पैसा आखिर जा कहां रहा है? क्या यह महज कागजों तक सीमित है? जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी और लापरवाही सवाल खड़े कर रही है. यदि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधरी, तो यह मुद्दा केवल बदहाल वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किसी बड़े हादसे का कारण भी बन सकता है.

यह बोले नागरिक...

जनसेवा वाहन खटारा हालत में दौड़ रहे हैं. मेंटेनेंस पर खर्च दिखाया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत सबके सामने है. आखिर जनता के टैक्स का पैसा कहां जा रहा है, इसकी जवाबदेही तय होना चाहिए.
- किशोर डोंगरे

निगम के इन वाहनों में न लाइट सही है, न ब्रेक की गारंटी. चालक और आम नागरिक दोनों खतरे में हैं, ऐसी लापरवाही किसी दिन जानलेवा साबित हो सकती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.
- प्रवीण मिश्रा

स्थिति सुधारने के लिए निगम सभी वाहनों का तत्काल टेक्निकल ऑडिट करवाए, खराब और कंडम वाहनों को हटाकर नए और सुरक्षित वाहन लाए जाएं, मेंटेनेंस बजट की पारदर्शी जांच हो और लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई हो.
- इकबाल खान